**नर्मदा बांध**

2504. **श्री शशि भूषण वाजपेयी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजना के लिये मशीनें तथा वित्तीय और तकनीकी सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव)** : (क) और (ख). सूचना मिली है कि रूस की एक संस्था ने मध्य प्रदेश सरकार को नर्मदा सागर परियोजना के लिए मशीनरी और उपस्कर देने के लिए अपनी सेवायें प्रस्तुत की हैं । किसी भी परियोजना के लिए विदेशी सहायता तभी ली जाती है जब परियोजना तकनीकी रूप से स्वीकार कर ली जाती है और इसके कार्यान्वन के लिए आवश्यक धन-राशि का प्रबन्ध योजना में कर लिया जाता है । मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा सागर परियोजना की पुनरीक्षित रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

DRILLING AT JWALAMUKHI

2505. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of PETROLEUM & CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the drilling operations at Jawalamukhi have been given up and there are several buildings both at Sapri (Jawalamukhi) and Jawalamukhi proper belonging to the department; and

(b) if so, the use to which these buildings are being put to?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND OF SOCIAL WELFARE (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir. The buildings in question belong to the Oil and Natural Gas Commission.

(b) The residential quarters at Jawalamukhi are unoccupied. At Sapri, the sheds are being utilised for storage etc. of the equipment and the residential quarters are occupied by the Staff of the Oil & Natural Gas Commission engaged in the storage and maintenance of the Rig and Equipment and its despatch to other areas.

TEA STANDARDS

2506. SHRI HEM RAJ : Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that samples of green and black tea of Kangra and Dehra Dun were taken for the fixation of tea standards under the Prevention of the Food Adulteration Act; and

(b) if so, the results thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) The Indian Standards Institution who are undertaking work of formulating standards for black and green tea for inclusion under the Prevention of Food Adulteration Rules 1955 had considered available data regarding Kangra and Dehra Dun Teas.

(b) On the basis of the analytical results of the Indian Standards Institution, the Central Committee for Food Standards have recommended amendment of the existing standards for tea so as to cover both varieties of tea, namely, green as well as black. The recommendation is being examined by Government.

ADMISSION OF PATENTS IN WILLINGDON HOSPITAL, NEW DELHI

2507. SHRI SHARDA NAND :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :

Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Willingdon Hospital, New Delhi, admission is granted to patients only if they have a certain minimum income;

(b) if so, the details of rules governing admissions of patients;

(c) whether Government have received any complaints in this regard; and

(d) if so, the action taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) Admission to General Wards is free irrespective of any income. Only in case of admission to Paying Wards and Nursing Home the minimum income is Rs. 251 and 501 respectively.

(b) Extracts of rules 3, 4 and 5 governing admission of patients in the Willingdon Hospital is laid on the Table of the House. [*Placed in library See* No. LT—1808/67.]

(c) No. There are 56 beds in the Nursing Home and 24 in the Special Wards. Admission is made in the order in which applications are received from the patients. Emergent cases are admitted without reference to applications.

(d) Does not arise.

**नई दिल्ली में मोतीबाग में दुकानों का अलाटमेंट**

2508. **श्री शारदानन्द :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोती बाग, नई दिल्ली में सरकारी दुकानों का अलाटमेंट झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत किया गया है;

(ख) रामकृष्णपुरम में सरकारी दुकानों का अलाटमेंट किन नियमों के अनुसार किया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम के बहुत-से अलाटियों ने पगड़ी के रूप में बहुत अधिक राशि लेकर सरकारी दुकानों का कब्जा दूसरे लोगों को दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) रामकृष्णपुरम में दुकानों का आरंभिक नियतन विभिन्न व्यवसायों में प्रतिनिधित्व के संतुलन को तथा सम्बन्धित आबंटी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए किया गया था । बाद में दुकानों का आवंटन टेंडर के आधार पर किया गया ।

(ग) और (घ). दुकानों को सबलैट करने के मामले सरकार के नोटिस में समय-समय पर आये हैं । इन मामलों में निम्नांकित कार्यवाई की गयी :—

(i) जब दुकान तीसरी पार्टी को सबलैट कर दी जाती है तथा सबलैटी नियमतीकरण के लिए सरकार के पास आता है तो बाजार के प्रशासन के लिए वर्तमान निदेशों के अनुसार दुकान का नियमतीकरण उसके पक्ष में कर दिया जाता है, बशर्ते कि वह यह स्थापित कर दे कि वह दुकान उसके दखल में है, कोई बकाया किराया शेष नहीं है, तथा दुकान के लिए निर्धारित बाजार किराये के साथ उसका 50 प्रतिशत और के बराबर लाइसेंस फ़ीस देने को तैयार है ।

(ii) उन मामलों में जिनमें कि सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि वास्तव में दुकान तीसरी पार्टी को सबलैट कर दी गयी है तथा सबलैटी दुकान के नियमतीकरण के लिए नहीं आता तो आवंटन रद्द कर दिया जाता है तथा पब्लिक प्रेमिसेज (एविक्शन आफ़ अनआथराइज्ड आक्यूपैन्ट्स) एक्ट, 1958 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जाती है ।

(iii) दुकानों का उसके दखलकारों के द्वारा तीसरी पार्टी को हस्तान्तरित करना व्यापार की एक सामान्य प्रथा है तथा बाजार के प्रशासन के लिए निर्देशों में इसकी समुचित व्यवस्था है ।

**ASSISTANCE TO WEST BENGAL**

2509. **SHRI K. HALDAR :** Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the West Bengal Government have made a representation to